

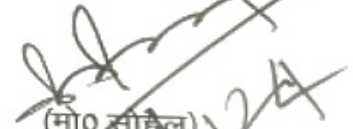
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 11 जनवरी, 2024

संख्या : 1/सी0-1002/2019-सा0प्र0-732/भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच वर्ष, 2020 के भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के निम्नांकित पदाधिकारियों को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान (संयुक्त सचिव स्तर) (वेतनमान-लेवल-11-₹67,700-2,08,700/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री श्रेष्ठ अनुपम	अनुमण्डल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर	01.01.2024
2	श्री अभिषेक पलासिया	अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा	01.01.2024
3	श्रीमती(डॉ०) अनुपमा सिंह	अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण	01.01.2024
4	सुश्री चन्द्रिमा अत्री	अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा	01.01.2024
5	श्री प्रदीप सिंह	अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर	01.01.2024
6	श्री कुमार निशान्त विवेक	अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण	01.01.2024
7	श्री श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर	अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना	01.01.2024
8	श्रीमती गुंजन सिंह	अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी	01.01.2024

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


 (मो० सी०) 24
 सरकार के सचिव

ज्ञापक : 1/सी0-1002/2019-सा0 प्र0-732/पटना-15, दिनांक 11 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के

आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

संस्कार के सचिव